आदेश की क्रम सं0 एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, खगड़िया

जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0–165/2020

अंचल अधिकारी, चौथम.....वादी

बनाम्

राजेन्द्र ठाकुर.....प्रतिवादी

आदेश

17/9/21

प्रस्तुत वाद अंचल अधिकारी, चौथम के पत्रांक–958 दिनांक–10.07.2021 के आलोक में संधारित किया गया है। प्रस्तुत वाद में प्रश्नगत भूमि का विवरण निम्नवत् है :–

मौजा	खाता	खेसरा	रकवा
दिघरी	62	4/16	1.00 एकड़

आवेदक अंचल अधिकारी, चौथम के समक्ष संधारित अभिलेख सं0–3/20–21 में पारित आदेश दिनांक–09.06.2020 में उल्लिखित है कि प्रश्नगत भूमि भूहदबंदी द्वारा रामसेवक पासवान पे0–सीताराम पासवान को प्राप्त हुआ तथा उनके नाम जमाबंदी सं0 60 गठित है। आवेदक का आगे कथन है कि विपक्षी राजेन्द्र ठाकुर बिना स्वामित्व के प्रश्नगत भूमि के लिए जमाबंदी सं0 55 गठित करवा लिये तथा उक्त जमाबंदी पर प्रश्नगत भूमि का विवरण एवं भूहदबंदी से प्राप्त दर्ज करवा दिये है। जबकि विपक्षी को प्रश्गनत भूमि भूहदबंदी से प्राप्त नहीं है। अंचल अधिकारी, चौथम द्वारा राजस्व कर्मचारी से स्थलीय जांच करवायी गयी जिसमें प्रश्नगत भूमि पर रामसेवक पासवान का दखल पाया गया। अतः उपरोक्त आधारों पर आवेदक के जमाबंदी सं0 55 को रद्द करने की अनुशंसा कर अभिलेख अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित किये।

विपक्षी इस वाद में उपस्थित होकर अपना आपत्ति पत्र दाखिल किये जिसमें इन्होंने कथन किया है कि प्रश्नगत भूमि विपक्षी को पर्चा द्वारा प्राप्त है तथा उसी के आधार पर जमाबंदी सं0 55 कायम हुई। परन्तु विपक्षी को उक्त रकवा पर कभी दखल कब्जा नहीं दिया गया। विपक्षी यह भी अंकित किये है कि प्रश्नगत भूमि के दखल कब्जा गलत ढंग से जमाबंदी सं0 60 के रैयत को दे दिया गया है। विपक्षी ने यह भी कथन किया है कि उनकी निर्गत की गयी पर्चा को निरस्त किये बिना जमाबंदी रद्द किया जाना संभव नहीं है। अतः उपरोक्त

आदेश की क्रम सं0 एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3

वर्णित आधार पर वाद खारिज करने का अनुरोध किया है।

उभय पक्षों के अभिकथन एवं अभिलेख में उपलब्ध राजस्व कर्मचारी का प्रतिवेदन, भूधारी की सूची एवं दखल दिहानी की विवरणी का अवलोकन किया। चौथम अंचल के भू–हदबंदी वाद सं0–2/84–85 के भूधारी सूची से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि रामसेवक पासवान पे0–सीताराम पासवान को आवंटित की गयी तथा दखल दिहानी विवरणी की क्रम सं0 15 पर उन्हें दखल दिलाये जाने का उल्लेख किया गया है। विपक्षी ने भी अपने आपत्ति पत्र में यह स्वीकार किया है कि रामसेवक पासवान ही दखलकार है। विपक्षी राजेन्द्र ठाकुर की ओर से प्रश्नगत भूमि के संदर्भ में कोई परवाना या पर्चा दाखिल नहीं किया गया है। अभिलेख पर उपलब्ध भूधारी की सूची में राजेन्द्र ठाकुर का नाम अंकित नहीं है। ऐसी स्थिति में उन्हें प्रश्नगत भूमि पर भूधारी नहीं माना जा सकता है। दखल दिहानी की विवरणी में क्रम सं0 10 पर राजेन्द्र ठाकुर का नाम अंकित है। परन्तु चौहद्दी कॉलम रिक्त है अर्थात यह स्पष्ट नहीं है कि किस चौहद्दी की भूमि आवंटित की गयी है। विपक्षी स्वयं भी स्वीकार करते है कि उनका दखल कब्जा नहीं है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि विपक्षी के नाम से जमाबंदी सं0 55 का गठन बिना स्वामित्व दस्तावेज के एवं बिना भौतिक दखल कब्जा के किया गया है। जब प्रश्नगत भूमि के लिए जमाबंदी सं0 60 गठित है तो स्पष्ट रूप से जमाबंदी सं0 55 का गठन अनियमित है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर जमाबंदी सं0 55 का विखण्डन किया जाता है। इसी के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, चौथम को अनुपालनार्थ भेंजे।

लेखापित एवं संशोधित

अपर समाहर्त्ता,
खगड़िया।

17/9
अपर समाहर्त्ता,
खगड़िया।

ज्ञा0 प्र0 सं0 553 दिनांक 28/10/21
प्रतिलिपि - अंचल अधिकारी, चौथम को सूचनार्थ एवं उपरोक्त आदेश का अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि - N.I.C. खगड़िया को वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अपर समाहर्त्ता
खगड़िया